DAINIK BHASKAR, Bhopal, 14.7.2025
Page No. 7, Size:(14.00)cms X (9.46)cms.

रेलवे की लापरवाही पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सख्त, मांगी रिपोर्ट

भोपाल| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मंडल रेल प्रबंधक, भोपाल और पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के महाप्रबंधक को 10 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देने का अंतिम निर्देश दिया है। मामला राज्य रानी एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने और विदिशा स्टेशन पर महिला यात्रियों को हो रही परेशानियों से जुड़ा है। वर्तमान में इस ट्रेन में 15 कोच हैं, जबकि जरूरत 22 कोच की है। ट्रेन विदिशा से भोपाल पहुंचने में डेढ़ घंटे से ज्यादा समय लेती है और निशातपुरा आउटर पर खड़ी रहती है। शिकायत 10 जून को ई-मेल से कमलेश सेन ने की थी, जो रेल उपयोगकर्ता समिति के सदस्य हैं। आयोग ने 12 जून और 11 जुलाई को भी रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला।

Orissa Post

NHRC seeks ATR on boy's death after fall into hot ash

https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-atr-on-boys-death-after-fall-into-hot-ash/

PNN | Updated: July 13th, 2025, 10:00 IST

Bargarh: The tragic death of a minor boy after falling into a hot ash pile of a rice mill in Mahule village under Bheden police limits of Bargarh district has drawn the attention of the National Human Rights Commission (NHRC).

The deceased, Pratyush Bhaena of Baipura village, reportedly slipped and fell into a hot pile of ash near the Kaleshwar Rice Mill while he was on his way to a nearby stream to bathe February 26 morning.

The smouldering ash heap caused severe burn injuries, leading to the boy's death.

Following the incident, social activist Dillip Kumar Dash from Nandol under Bhawanipatna brought the matter to the notice of the NHRC.

Acting on his complaint, the commission registered a case and initiated a probe.

As part of the investigation process, the NHRC has issued notices to the Chief Secretary of the state government, the Director General of Police and the Bargarh Collector, seeking detailed reports on the actions taken regarding the incident within seven days.

The commission has also scheduled a hearing in Bhubaneswar July 21, directing the concerned authorities or their representatives to appear in person.

After undergoing treatment at VIMSAR, Burla, for 40 days, the minor, still critical, was moved to SCB Medical College and Hospital in Cuttack April 8.

He was admitted there April 9 and succumbed to his injuries at 7:30 pm the following day. After the post-mortem, while the body was being brought back to the village, local residents staged a protest in front of the rice mill by placing the body there, demanding justice.

Following the uproar, police arrested the owner of the rice mill. Subsequently, the district administration also constituted an independent team to investigate the incident.

India Today

Man run over by car in front of mother over chicken dispute in Madhya Pradesh

A man in Madhya Pradesh's Damoh was allegedly killed after being run over multiple times in front of his mother after a dispute over buying chicken. The incident has triggered community tensions and a human rights probe.

https://www.indiatoday.in/india/story/man-run-over-by-car-front-of-mother-over-chicken-dispute-madhya-pradesh-2754982-2025-07-13

Ravish Pal Singh | Bhopal, UPDATED: Jul 13, 2025 06:24 IST

Edited By: Atul Mishra

In Short

Dispute over chicken purchase triggered the attack

Accused ran over victim multiple times after collision

Victim's mother witnessed incident, police investigation on

A 30-year-old man was allegedly crushed to death by a car in front of his ailing mother following a dispute over buying chicken in Damoh, Madhya Pradesh.

The victim, identified as Rakesh Raikwar, succumbed to his injuries after being repeatedly run over by the accused, Akil Khan.

The incident occurred late Friday night after a verbal altercation between Rakesh and Akil’s father, who sells chicken in the area. According to the police, Rakesh had an argument over the purchase of chicken earlier in the evening.

Hours later, while taking his sick mother to the doctor on a two-wheeler, Rakesh was allegedly intercepted by Akil.

Eyewitnesses and police reports state that Akil rammed his car into Rakesh’s bike, causing him and his mother to fall on the road. Akil then allegedly reversed the car and ran over Rakesh multiple times before fleeing the scene.

A blood-soaked Rakesh was rushed to the hospital but was declared dead on arrival.

Rakesh’s mother, who witnessed the gruesome act, pleaded for help as her son lay dying. Local police have launched an investigation and are reviewing CCTV footage from the area.

Damoh CSP HR Pandey confirmed that there was a prior dispute between the two families, which may have led to the fatal attack. Authorities have assured that strict action will be taken against the accused.

The incident has triggered tension in the area. Additional security has been deployed to prevent any communal unrest. The National Human Rights Commission’s member Priyank Kanoongo flagged the matter on X, alleging that Rakesh, a youth from a marginalised community, was murdered for objecting to illegal animal slaughter in front of a Shiva temple during the holy month of Sawan.

He urged the Madhya Pradesh Police to act promptly and said the commission has taken cognisance of the matter.

Patna Press

Patna Woman Divorced Over Worm in Breakfast Seeks Justice After 31 Years

https://patnapress.com/patna-woman-divorced-worm-breakfast-seeks-justice-31-years-later/

July 13, 2025

Rukaiya Khatoon from Kishanganj has approached Patna seeking justice, alleging her husband divorced her over a worm in breakfast after years of dowry harassment, abuse, and property grabbing.

Patna: A woman in Bihar is seeking justice more than three decades after her husband divorced her because a worm fell into his breakfast. Rukaiya Khatoon, a resident of Kochadhaman in Kishanganj, was married 46 years ago and says her husband began harassing her within a year of their wedding.

After eight years of marriage, her husband married another woman. Seven years later, he allegedly divorced Rukaiya by uttering “talaq” three times in anger when he saw a worm in his food. Her son, Raqib Alam, who is an assistant professor at Jamia Millia Islamia University, said in a press conference that his father, Mohammad Arif, subjected his mother to severe physical and mental abuse, including pouring hot water on her body, demanding dowry, and forcing her through the inhumane practice of halala.

He also accused his father of selling Rukaiya’s property to build a house for his second wife and children. “My mother lived like a slave,” Raqib said, adding that his father’s violence traumatised him as a child. He has now petitioned the President, Prime Minister, National Human Rights Commission, and Women’s Commission to secure justice for his mother.

Amar Ujala

Bihar: जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर डॉ. रकीब आलम ने पिता पर लगाए गंभीर आरोप, मां को न्याय दिलाने की लगाई गुहार

https://www.amarujala.com/bihar/patna/jamijamia-millia-professor-dr-raqib-alam-made-serious-allegations-against-his-father-pleaded-for-justice-a-millia-professor-dr-raqib-alam-made-serious-allegations-against-his-father-pleaded-for-justice-2025-07-13

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 13 Jul 2025 09:01 PM IST

सार

पटना

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रकीब आलम ने अपने पिता मो. आरिफ पर मां के साथ ट्रिपल तलाक, हलाला, शोषण और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानवाधिकार आयोग से न्याय की अपील की है।

विस्तार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ. रकीब आलम ने अपने पिता मोहम्मद आरिफ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी मां रुकैया खातून के साथ ट्रिपल तलाक, हलाला, शारीरिक-मानसिक शोषण, संपत्ति हड़पने और जानलेवा हमलों जैसे मामलों को उजागर करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग और महिला आयोग को पत्र भेजकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है।

रविवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. रकीब और उनकी मां रुकैया खातून ने पत्रकारों के सामने अपनी आपबीती साझा की। किशनगंज जिले के कोचाधामन की रहने वाली रुकैया खातून ने बताया कि वह पिछले 46 वर्षों से अत्याचार सहती आ रही हैं। शादी के एक साल के भीतर ही दहेज के लिए मारपीट और जलते पानी से हमला जैसे घटनाएं शुरू हो गई थीं।

हलाला जैसी प्रथा का भी शिकार

रुकैया खातून ने बताया कि उनके पति मो. आरिफ ने शादी के आठ साल बाद दूसरी शादी कर ली थी और करीब 31 साल पहले उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया। तलाक के बाद हलाला जैसी अमानवीय परंपरा के लिए उन्हें मजबूर किया गया, जो उनके लिए बेहद अपमानजनक और पीड़ादायक था।

इलाज में बाधा और जबरन कैद का आरोप

2012 में रुकैया खातून दिल्ली अपने बेटे के पास रहने आईं, लेकिन मो. आरिफ ने उन्हें जबरन वापस बिहार बुलाकर अवैध रूप से कैद कर लिया और इलाज में बाधा पहुंचाई। इलाज न मिल पाने की वजह से रुकैया को डिप्रेशन, स्पाइनल समस्या और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। 2024 में एंजियोप्लास्टी के बाद से वह दिल्ली में चिकित्सा निगरानी में हैं।

संपत्ति बेचने के लिए बनाया दबाव

डॉ. रकीब ने बताया कि उनके पिता ने मां को मानसिक रूप से दबाव में रखकर जमीन बेचने पर मजबूर किया और उससे मिले पैसे को अपनी दूसरी पत्नी के बेटों आकिब राजा और नकीब के घर निर्माण में खर्च कर दिया। रुकैया खातून ने बताया कि जब भी उनका बेटा उन्हें दिल्ली ले जाने की कोशिश करता, मो. आरिफ उससे बदसलूकी करता और जान से मारने की धमकी देता। कई बार दोनों पर जानलेवा हमले भी किए गए हैं। डॉ. रकीब का आरोप है कि उनके पिता को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई से वे लगातार बचते आ रहे हैं।

न्याय और सुरक्षा की मांग

रुकैया खातून और उनके बेटे डॉ. रकीब आलम ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से अपील की है कि उन्हें न्याय, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया जाए। उनका कहना है कि अब तक की पुलिसिया कार्रवाई और सामाजिक काउंसलिंग निष्प्रभावी रही है और वे अब स्थायी सुरक्षा और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

Hindu

J&K L-G scheme for militancy-affected families: What about those whose kin were killed by security forces? ask Farooquis

L-G Sinha promises justice and jobs to militancy-affected families, raising questions over fairness of new initiative

https://www.thehindu.com/news/national/jammu-and-kashmir/jk-l-g-scheme-for-militancy-affected-families-what-about-those-whose-kin-were-killed-by-security-forces-ask-farooquis/article69807275.ece

Updated - July 13, 2025 06:25 pm IST - Srinagar

Peerzada Ashiq

Addressing a function in north Kashmir's Baramulla on July 13, 2025, L-G Manoj Sinha promised to re-open all cases of militancy victims and ensure justice and rehabilitation to such families. File. | Photo Credit: PTI

As Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha on Sunday (July 13, 2025) promised justice and jobs to the militancy-affected families of J&K, the victim families of security forces raised questions over the fairness of the L-G's new initiative.

"L-G Sinha's announcement of government jobs for families of terrorism victims is hailed as a healing measure. But what about the father of two murdered sons? The fresh initiative has reignited anguish among this family whose loved ones were murdered by security forces with First Information Reports (FIRs) gathering dust for decades," Tajamul Farooqi, whose two cousins Tajudin and Imtiyaz Farooqi were shot dead in 1992 in Srinagar's Lal Bazaar, told The Hindu.

Addressing a function in north Kashmir's Baramulla on Sunday (July 13, 2025), the L-G promised to re-open all cases of militancy victims and ensure justice and rehabilitation to such families. The L-G administration has set up special cells in all districts to re-register their cases to get jobs under SRO-43, which aims at a compassionate approach towards the violence-affected families by providing financial relief and support to the bereaved families that lost their primary breadwinner.

"The initiative of the L-G administration explicitly covers only the families affected by militant violence. But what about the hundreds of the cases documented in police FIRs like the Farooqis where the security forces were involved. These cases remain in legal limbo with no comparable rehabilitation or accountability," Mr. Farooqi said.

Recalling the incident of 1992, Mr. Farooqi said his two cousins were subjected to cold-blooded murder by the 30th Battalion of the Border Security Force in 1992 at Umar Colony, Lalbazar. "Tajudin Farooqi was pursuing engineering from Bangalore and was aged 19. His younger brother Imtiyaz Farooqi, 13, was a student of the Greenland Primary School, Nigeen Hazratbal," he said.

“The duo was shot dead by security personnel in their own house after militants ambushed a BSF patrol nearby. A group of about six to seven BSF men entered the lane leading to the Farooqis house. An FIR No. 94/162 was registered at Lalbazar Police Station under Section 302,307,427 of the Indian Penal Code,” Mr. Farooqui said.

“Imtiyaz was killed instantaneously when he opened the door and Tajudin was dragged outside from his house to the lane and shot in the chest despite sisters’ pleas,”he recalled.

He said the father-in-law of the slain Farooqui had a fatal cardiac arrest as he visited the place to see his daughter’s two dead kids lying in a pool of blood. “Our family approached the National Human Rights Commission soon after receiving threats not to follow the case at various levels. In September 1997, my uncle was summoned by a military court at Qazigund in south Kashmir but received the summon only after the trial date was over,” he said.

I appeal to the L-G to re-look at the “asymmetry policy”. “What about my cousins who were students who were murdered? The killers still walk free. Why this double standard? No witnesses, including the surviving family, were ever examined. No compensation or job can ever fill the void of such gruesome killing of this magnitude,” Mr. Farooqui said.

Hundreds of civilians died after a mass militancy broke out in the 1990s in Kashmir. There are allegations against both militants and security forces of excesses and murders.

DAINIK BHASKAR, Online, 14.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Dainik Bhaskar

यमन में भारतीय नर्स को बचाने की अपील:राष्ट्रपति और मानवाधिकार आयोग से गुहार, 16 जुलाई को तय है फांसी

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bundi/news/appeal-to-save-indian-nurse-in-yemen-bundi-rajasthan-135438268.html

बूंदी 5 घंटे पहले

केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की है।

निमिषा प्रिया रोजगार के लिए 2016 में यमन गई थी। वहां उनके क्लिनिक के यमनी पार्टनर ने उनका पासपोर्ट छीन लिया। वह उन्हें जबरन वहां रखना चाहता था और भारत नहीं जाने दे रहा था। अपने दस्तावेज वापस पाने के प्रयास में निमिषा ने उस यमनी नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया। ओवरडोज से उसकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद से पिछले 8 वर्षों से निमिषा यमन की सना जेल में बंद हैं। यमन की सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में तत्काल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक और वैधानिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर कूटनीतिक व वैधानिक हस्तक्षेप करे सरकार

भारतीय महिला का जीवन बचाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में भारत सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये और यमन सरकार से कूटनीतिक वार्ता करनी चाहिये और भारतीय दूतावास के माध्यम से वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए यमन के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिये। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी तत्काल अपना पक्ष रखकर फांसी पर स्टे लेना चाहिये।

अनजाने में हुई थी हत्या

राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय महिला निमिषा प्रिया यमन में नर्स का काम करती थी और वहां पर कोई भी विदेशी नागरिक यदि हॉस्पिटल या अपना संस्थान खोलना है तो उसे तभी अनुमति दी जाती है जब यमन का कोई स्थानीय नागरिक उसमें पार्टनर हो। यमन नागरिक तलाल आबदो मेहदी के साथ यमन सरकार के नियमानुसार भारतीय महिला निमिषा प्रिया ने क्लिनिक खोला था, लेकिन यमन नागरिक ने भारतीय महिला निमिषा प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उसने भारतीय महिला का पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी छीन लिये थे और वापस नहीं लौटा रहा था। वह जबरन भारतीय महिला को भारत आने से रोक रहा था और दस्तावेज वापस नहीं दे रहा था। इसके लिये भारतीय महिला ने यमन नागरिक से अपने दस्तावेज लेने के लिये मजबूर होकर नशे का इंजेक्शन लगाया था जिसकी ओवरडोज से अनजाने में यमन नागरिक की मौत हो गयी।

ETV Bharat

यमन में भारतीय नर्स को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका - NIMISHA PRIYA EXECUTION

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा. अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक व वैधानिक हस्तक्षेप की मांग. भारत के राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका.

https://www.etvbharat.com/hi/!bharat/petition-to-india-president-secretariat-to-save-life-of-kerala-nurse-nimisha-priya-in-yemen-hindi-news-rjn25071304018

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2025 at 8:08 PM IST |Updated : July 13, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read

बूंदी: भारत में केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को आगामी 16 जुलाई को यमन में फांसी से बचाने के लिए भारत में प्रयास जारी है. इस मामले में विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान के बूंदी जिले के चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर कर भारतीय महिला का जीवन बचाने की गुहार लगाई है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय नागरिक के जीवन से जुड़े हुए इस गंभीर मानवीय विषय पर राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार की ओर से तत्काल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और वैधानिक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और निमिषा प्रिया का जीवन बचाया जाना चाहिए. शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए भारतीय महिला का जीवन बचाने की मांग की है.

16 जुलाई को तय है फांसी का दिन : उल्लेखनीय है कि केरल की रहने वाली भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को यमन की सना जेल में 16 जुलाई को फांसी देने की सजा सुनाई गई है. निमिषा प्रिया रोजगार के लिए यमन गई थीं. यमन में 2016 में उनका पासपोर्ट उनके क्लिनिक के पार्टनर यमन नागरिक के द्वारा छीन लिया गया था. वह भारतीय महिला को जबरन वहीं पर रखना चाहता था और भारत नहीं आने दे रहा था.

इसके बाद अपना पासपोर्ट व दस्तावेज वापस लेने के लिए निमिषा प्रिया ने यमन नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया था. नशे की ओवरडोज से यमन नागरिक की मौत हो गई थी. जिसके बाद पिछले 8 वर्ष से अधिक समय से निमिषा प्रिया यमन की सना जेल में हैं. यमन के न्यायालय ने निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी देने की सजा सुनाई है और उस पर वहां की सरकार ने अंतिम रूप से मुहर भी लगा दी है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक व वैधानिक हस्तक्षेप करे भारत सरकार : चर्मेश शर्मा ने कहा कि भारतीय महिला का जीवन बचाने के लिए इस मामले में भारत सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और यमन सरकार से कूटनीतिक वार्ता करनी चाहिए. भारतीय दूतावास के माध्यम से वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए यमन के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए. साथ ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी तत्काल अपना पक्ष रखकर फांसी पर स्टे लेना चाहिए.

अनजाने में हुई थी हत्या : राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय महिला निमिषा प्रिया यमन में नर्स का काम करती थी. वहां पर कोई भी विदेशी नागरिक यदि हॉस्पिटल या अपना संस्थान खोलता है तो उसे तभी अनुमति दी जाती है, जब यमन का कोई स्थानीय नागरिक उसमें पार्टनर हो.

यमन नागरिक तलाल अब्दो महदी के साथ यमन सरकार के नियमानुसार भारतीय महिला निमिषा प्रिया ने क्लिनिक खोला था, लेकिन यमन नागरिक ने नर्स निमिषा प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. उसने निमिषा का पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी छीन लिया थे और वापस नहीं लौटा रहा था. तलाल अब्दो जबरन भारतीय नर्स को भारत आने से रोक रहा था और दस्तावेज वापस नहीं दे रहा था. इसके लिए निमिषा ने यमन नागरिक से अपने दस्तावेज लेने के लिए मजबूर होकर नशे का इंजेक्शन लगाया था, जिसकी ओवरडोज से अनजाने में यमन नागरिक की मौत हो गई.

City News Rajasthan

यमन में भारतीय महिला को फाँसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर, 16 जुलाई को निर्धारित है फाँसी

https://citynewsrajasthan.com/petition-filed-in-president-secretariat-to-save-indian-woman-from-hanging-in-yemen-hanging-is-scheduled-on-july-16

by CITY NEWS about 5 hours ago

बूंदी। केरल की भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को आगामी 16 जुलाई को यमन की सना जेल में फांसी दिए जाने की सजा सुनाई गई है, जिस पर वहां की सरकार ने अंतिम मुहर भी लगा दी है। इस गंभीर मानवीय मामले में भारत में निमिषा का जीवन बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं।

चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा, जो विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करते हैं, ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में भारतीय महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और वैधानिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए निमिषा प्रिया का जीवन बचाने की अपील की है।

क्या है निमिषा प्रिया का मामला?

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया रोजगार के लिए यमन गई थीं। 2016 में, उनके क्लिनिक के पार्टनर, एक यमन नागरिक, ने उनका पासपोर्ट छीन लिया और उन्हें जबरन वहीं रोककर भारत आने से मना कर दिया। अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज वापस लेने के लिए निमिषा प्रिया ने उस यमन नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया था। दुर्भाग्यवश, नशे की ओवरडोज से यमन नागरिक की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से निमिषा प्रिया यमन की सना जेल में बंद हैं। यमन के न्यायालय ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।

अनजाने में हुई हत्या और कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग

राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि यमन में कोई भी विदेशी नागरिक यदि अस्पताल या अपना संस्थान खोलता है, तो उसे तभी अनुमति मिलती है जब यमन का कोई स्थानीय नागरिक उसमें पार्टनर हो। निमिषा प्रिया ने भी यमन नागरिक तलाल आबदो मेहदी के साथ यमन सरकार के नियमानुसार क्लिनिक खोला था। हालांकि, यमन नागरिक ने निमिषा प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, और उसने उनका पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज छीनकर वापस नहीं लौटाए थे। वह उन्हें जबरन भारत आने से रोक रहा था। अपनी जान और दस्तावेजों को बचाने के लिए निमिषा प्रिया ने मजबूर होकर उस यमन नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया था, जिसकी ओवरडोज से अनजाने में उसकी मृत्यु हो गई।

CITY NEWS RAJASTHAN, Online, 14.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

याचिका में भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने, यमन सरकार से कूटनीतिक वार्ता करने, भारतीय दूतावास के माध्यम से वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए यमन के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी तत्काल अपना पक्ष रखकर फांसी पर स्टे लेने की मांग की गई है।